न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रार्थना पत्र/सरफेसी एक्ट/2024/02

आधार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड शाखा भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी नितिन चतुर्वेदी

......प्रार्थी

बनाम

1. स्व0 श्री प्रेमसिहं
2. श्रीमती चन्द्रवती पत्नि स्व0 श्री प्रेमसिहं
3. श्री संदीप सिहं (1st Guarantor)
4. श्री दीपक सिहं (2nd Guarantor)

निवासी गोविन्द नगर कॉलोनी, नजदीक वलभद्र स्कूल, भरतपुर राज0

......अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाईनान्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संशोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांक 06.03.2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 31.03.2021 को राशि रू. 13,36,146/- (शब्देन तेरह लाख छत्तीस हजार एक सौ छियालीस रू. मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा लिये गये ऋण को समय पर नहीं चुकाये जाने के कारण ऋण के एवज में ऋणी श्रीमती चन्द्रवती पत्नि स्व0 श्री प्रेमसिहं द्वारा बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ती 1082 गोविन्द नगर कॉलोनी, एच ओ प्लॉट नं0 192, गोविन्द नगर संजय नगर फेस 1 नजदीक सरवती स्कूल भरतपुर, राज0, बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार जिसका क्षेत्रफल 131.4 वर्ग गज है। जिसके पूर्व में प्लॉट नं. 193, पश्चिम में प्लॉट नं. 191, उत्तर में 20 फिट रोड एवं दक्षिण में प्लॉट नं. 194 है पर भौतिक कब्जा दिलाये जाने हेतु पेश किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी की आवासीय सम्पत्ती 1082 गोविन्द नगर कॉलोनी, एच ओ प्लॉट नं0 192, गोविन्द नगर संजय नगर फेस 1 नजदीक सरवती स्कूल भरतपुर, राज0

1.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

जिसका कुल क्षेत्रफल 131.4 वर्ग गज, है को बंधक रखी जाकर बैंक के हक में बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था। जिसके एवज में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 31.03.2021 को राशि रू. 13,36,146/– (शब्देन तेरह लाख छत्तीस हजार एक सौ छियालीस रू. मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा बंधक अभिलेखानुसार ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 05.01.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग 60 दिन में, दिनांक 31.03.2023 तक बकाया ऋण राशि रू. 11,29,632/– (शब्देन ग्यारह लाख उन्तीस हजार छः सौ बत्तीस रू. मात्र) एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व अतिरिक्त खर्चे लागत इत्यादि जमा कराये जाने हेतु दिनांक 11.01.2023 को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया है। साथ ही दिनांक 13.01.2023 के समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में भी नोटिस प्रकाशित करवाया गया है। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा निर्धारित समयावधि 60 दिवस समाप्त होने के पश्चात भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अभिलेख निष्पादित करते समय बैंक के हक में बंधक रखी गई आवासीय अचल सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में भौतिक कब्जा दिया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है किः–

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा ऋण लेते समय श्रीमती चन्द्रवती पत्नि स्व0 श्री प्रेमसिहं द्वारा प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ती 1082 गोविन्द नगर कॉलोनी, एच ओ प्लॉट नं0 192, गोविन्द नगर संजय नगर फेस 1 नजदीक सरवती स्कूल भरतपुर, राज0, जिसका कुल क्षेत्रफल 131.4 वर्ग गज है। जिसके पूर्व में प्लॉट नं. 193, पश्चिम में प्लॉट नं. 191, उत्तर में 20 फिट रोड एवं दक्षिण में प्लॉट नं. 194 है, जिसका बंधक अभिलेख निष्पादित किया गया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता कि प्रार्थी बैंक द्वारा भौतिक कब्जा लेते समय प्रार्थी बैंक के स्वयं के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर